रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 1974/माघ 3, 1895
No. 42] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 1974/MAGHA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January 1974

S.O. 65(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No. 429/A&NI/71(1), dated the 4th December, 1972, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Shri Lachman Singh, Supply Officer, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, as the Electoral Registration Officer for the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency with effect from 12th April, 1973.

[No. 429/A&NI/71(1)]

By order,

B. N. BHARDWAJ, Secy

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1974

एस० ओ० 65 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उपधारा (1) के अनुबन्धों के अनुसरण में, और अपनी अधिसूचना सं० 429/अ० नि० द्वी० स०/71 (1), तारीख 4 दिसम्बर, 1972 को अतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के परामर्श से श्री लछमन सिंह, पूर्ति आफिसर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 अप्रैल, 1973 से निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 429/अ० नि० द्वी० स० /71(1)]

आदेश से,

बी० एन० भारद्वाज, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974